न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
102 / 2022	25 / 08 / 2022	04.04.2023

1 लादूराम पुत्र स्व0 श्री कजोड आयु 70 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम पालेडा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक

श्री रमेश कुमार जाजोरिया :– वकील वादी

पैरोकार सरकार :– उपस्थित।

दावा बाबत घोषणा खातेदार
नाम दुरूस्ती (रिकार्ड दुरूस्ती) अन्तर्गत धारा 88
राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णयः–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार जाजोरिया ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि प्रार्थी की ग्राम पालेडा पटवार हल्का लांगडियावास मे खाता संख्या 49 (नया) खसरा नम्बर 151 रकबा 1.0369 हैक्टेयर चाही–3 में हिस्सा 1/12 सा0देह खातेदार [illegible] 50 ([illegible]) खसरा नम्बर 156 रकबा 3.1865 हैक्टेयर बारानी–2 मे हिस्सा [illegible]/252 सा0देह खातेदार स्थित है तथा खाता संख्या 209 खसरा नम्बर 150/1 रकबा 2.5290 हैक्टेयर बारानी–3 में हिस्सा 1/3 सा0देह गैर खातेदार स्थित है जिस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और कृषि कार्य करते आ रहे है। प्रार्थी/वादी ने [illegible] अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की नकले निकलवाई तो मालूम चला कि प्रार्थी का जमाबन्दी में नाम जगदीश पुत्र कजोड सा देह खातेदार एव गैर खातेदार अंकित दर्ज है जो कि गलत है तथा लिपिकिया भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही [illegible] नाम लादूराम पुत्र कजोड है जो कि सही है। प्रार्थी/वादी को बचपन मे जगदीश [illegible] पुकारते थे इस कारण लादूराम पुत्र कजोड एवं जगदीश पुत्र कजोड ये दोनों नाम ही इस [illegible] के ही है जिसे उक्त दोनों नामों से जाना एवं पहचाना जाता है तथा इसके अलावा अन्य कोई [illegible] दुसरा नही है। प्रार्थी/वादी ने जब अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी में अपना नाम [illegible] हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय जमवारामगढ को एक प्रार्थना पत्र पेश किया तो [illegible] कि आप माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ मे धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा का दावा पेश करो, तब ही आपकी खातेदारी भूमि [illegible] में आपका नाम दुरूस्त होगा, इस कारण माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष नाम [illegible] हेतु घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी के वाद पत्र वर्णित खसरो एवं खातो [illegible] रिकार्ड की जमाबन्दी में त्रुटिवंश गलत दर्ज नाम जगदीश पुत्र कजोड जाति बलाई के [illegible] लादूराम पुत्र कजोड जाति बलाई सा0देह खातेदार के नाम शुद्व कर दुरूस्त करते हुए [illegible] करने की कृपा करें तथा खातेदार घोषित किया जावें।

[illegible] वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी [illegible] अपने पत्रांकः रीडर/2023/147 दिनांक 28.0[illegible].23 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया [illegible] की ग्राम पालेडा में वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 151 रकबा 1.0369 [illegible] हिस्सा 1/12, खाता संख्या 50 खसरा नम्बर 156 रकबा 3.18 हैक्टेयर मे हिस्सा 1/252 [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

व खाता संख्या 209 खसरा नम्बर 150 [illegible] रकबा 2.52 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 [illegible]
[illegible] खातेदारी [illegible] भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी [illegible]
दस्तावेजो यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जनआधार कार्ड अनुसार वादी [illegible]
लादूराम है तथा जमाबन्दी मे वादी का नाम जगदीश दर्ज रिकार्ड है। सरपंच [illegible]
लागडियावास द्वारा जारी लैटरपैड जिसमे वादी का नाम लादूराम उर्फ जगदीश बताया [illegible]
वादी राजस्व रिकार्ड की खातेदारी जगदीश के नाम दर्ज होने से संबधित से कोई राजस्व [illegible]
तथा वादी को उक्त भूमि आवंटन होने से संबधित गैर खातेदारी दर्ज होने से संबधित [illegible]
[illegible] भूमि वर्तमान मे जेडीए [illegible]
खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

अत: वकील वादी की बहस सुनने व पैरोकार सरकार के जवाब एव पत्रावली का [illegible]
करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया [illegible]
कि भूमि वाके ग्राम पालेडा पटवार हल्का लागडियावास तहसील जमवारामगढ जिला [illegible]
खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 151 रकबा 1.0369 हैक्टेयर में हिस्सा 1/12, खाता [illegible]
[illegible] 3.16 हैक्टेयर मे हिस्सा 1/252 खातेदार व खाता संख्या 209 [illegible]
नम्बर 150/1 रकबा 2.52 हैक्टेयर मे हिस्सा 1/3 गैर खातेदार मे जगदीश पुत्र व जोड [illegible]
को हजफ कर जगदीश पुत्र कजोड की जगह लादूराम उर्फ जगदीश पुत्र कजोड जाति [illegible]
अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली [illegible]
शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

[illegible] करवाया [illegible] दिनांक 04.04.2023 को खुले न्यायालय [illegible]
सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर